



पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय बालीगंज PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BALLYGUNGE

(Under Ministry of Education, Govt. of India)

बालीगंज सैन्य शिविर, बालीगंज सर्क्युलर रोड, कोलकाता - 700019

Ballygunge Maidan Camp, Ballygunge Circular Road, Kolkata-19

(033) 24865171, CBSE Affiliation No. 2400018, School Code: 19207

Web.: www.baligunge.kvs.ac.in, E-mail: kvballygunge1266@gmail.com

स्थानीय स्थानांतरण / LOCAL TRANSFER

इच्छुक अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि विधिवत भरा हुआ आवेदन, निर्धारित प्रारूप में, (तीन प्रतियों में) प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्थानीय स्थानांतरण के लिए 01.08.2026 तक जमा किया जा सकता है।

प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची [तीन प्रतियाँ]:

1. सत्र 2026-27 के लिए स्थानीय स्थानांतरण हेतु विधिवत भरा हुआ आवेदन
2. कक्षा शिक्षक का प्रमाण पत्र
3. न्यूनतम वैध दस्तावेजों में से कोई एक जिसके लिए स्थानीय स्थानांतरण मांगा गया है:
 - i. भाई-बहन का आधार: बोनाफाइड प्रमाण पत्र उस केवी से बनता है जहां भाई-बहन वर्तमान में पढ़ रहे हैं।
 - ii. मेडिकल ग्राउंड: सरकार द्वारा जारी गंभीर बीमारी के वैध चिकित्सा दस्तावेज। अस्पताल/एएमए/सीजीएचएस
 - iii. आवासीय पता परिवर्तन: सरकारी आवास के मामले में क्वार्टर के आवंटन का प्रमाण। प्राथमिकता श्रेणी I से IV के लिए आवास या स्वयं का निवास।

[अधिक स्पष्टीकरण के लिए कृपया केवीएस प्रवेश दिशानिर्देश 2026-27 और उसके बाद, भाग ए पैरा 7(बी), पृष्ठ संख्या 7 पढ़ें।]

Interested parents are hereby notified that duly filled in application, in prescribed format, (in triplicate) along with relevant documents (list attached) may be submitted for Local Transfer for the academic session 2026-27 by 01.08.2026.

List of documents required to be submitted [Triplicate]:

1. Duly filled Application for Local Transfer for the session 2026-27

2. Class teacher's certificate

3. Minimum any one of the valid documents for which local transfer has been sought:

- i. Sibling Ground: Bonafide certificate form the KV where the sibling is presently studying.
- ii. Medical Ground: Valid Medical documents of serious illness issued by the Govt. Hospital/AMA/CGHS
- iii. Residential address change: Proof of allotment of Quarter in case of Govt. accommodation or of own residence for priority category I to IV.

[For detailed eligibility and conditions, parents are requested to refer to the KVS Admission Guidelines 2026-27 & onwards, Part A, Para 7(B), Page 7.]

आदेशानुसार / By Order